PROFORMA FOR RE-IMBURSEMENT OF CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE

(No point should be left unanswered, write NA, if not applicable)

I hereby apply for the reimbursement of Children Education Allowance / Hostel Subsidy for my child / children and relevant particulars are furnished below:-

1.	Claim for the academic year				: 2020					
2.	Name of the Employee				:					
3.	Permanent No.					:		-		
4.	Designation					:				
5.	Secti	on &	Office			:				
6.	Date	of Joi	ning			:				
7.	Details of all the children of the emp									
	Seque		Nar	ne of Chi	ld		Date C	of Birth	Age (in years)	
	1 st ch	nild								
	and I		-							
	2 nd cl	hild								
	ard I	.1.1					***************************************			
	3 rd cł	nild							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
. 1	ath I	.1.1					. ,			
	4 th ch	illa								
8.	Dota	ils of	the child /	childro	n for wh	2m (hildro	n Educati	on Allowance	
0.	Deta	115 01	ine cina /	ciliare	II IOI WIII) (illiule	II Euucati	on Anowance	
	Clain	ned (Claim of 3 rd	d Child i	n except	iona	l cases):-		
	S.N.	Nam	e of Child	Class	Section	Aca	demic	Place of the School /		
						Yea		Institution		
	1.							motitude)[]	
	1 1				N. 5740 1134			Institutio	011	
	1000	5 1 1 1						matratic	911	
	2.							mstratic	011	
	2.		2.1					moticate)II	
	2.							mstrate	<u> </u>	
								mstrate	<u> </u>	
9.	3.	/hethe	r the child fo	or whom	the CEA is	app	lied for,		<u> </u>	
9.	3.		r the child fo	or whom	the CEA is	app	lied for,		711 	
9.	3. (a) W	led chi	ld: Yes/ No			app	lied for,			
9.	3. (a) W disab	led chi yes, in	ld: Yes/ No dicate the na	ature of		арр	lied for,			
9.	3. (a) W disab	led chi yes, in	ld: Yes/ No	ature of		app	lied for,			

(c) Date of disability certificate :	
(write NA, if not applicable)	
(d) Indicate the percentage of disability:	
(write NA, if not applicable)	
Whether the Bonafide certificate from the Head of Institution has been attached : Yes / No	
For Hostel Subsidy, the Bonafide Certificate from the Head of Institution mentioning the amount has been attached:	
(write NA, if not applicable)	
Distance of Hostel of child from residence of employee (in case of Hostel Subsidy), (write NA, if not applicable)	
If Voc at Itara No. 11 Amount alarged for Heatel Cubaidu.	D
Rs(write NA, if not applicable)	Rs.
(a) Certified that my spouse is not a Central Govt. servant.	
(write "yes" if spouse is not a Central Govt. servant)	
If Spouse is employed, state whether in Central Govt., PSU, State Govt.(give details with name of the spouse)	
(write NA, if not applicable)	
Designation, Office of spouse, if employed in Central Govt.	
(write NA, if not applicable)	
	(write NA, if not applicable) (d) Indicate the percentage of disability: (write NA, if not applicable) Whether the Bonafide certificate from the Head of Institution has been attached: Yes / No For Hostel Subsidy, the Bonafide Certificate from the Head of Institution mentioning the amount has been attached: (write NA, if not applicable) Distance of Hostel of child from residence of employee (in case of Hostel Subsidy), (write NA, if not applicable) If Yes at Item No. 11, Amount claimed for Hostel Subsidy: Rs(write NA, if not applicable) (a) Certified that my spouse is not a Central Govt. servant. (write "yes" if spouse is not a Central Govt. servant) If Spouse is employed, state whether in Central Govt., PSU, State Govt.(give details with name of the spouse) (write NA, if not applicable) Designation, Office of spouse, if employed in Central Govt.

- 17. Certified that my spouse shall not apply / has not applied for the Children Education Allowance for the child / children mentioned above.
- 18. Certified that I or my spouse has not claimed this re-imbursement from any other source and will not claim the same in future.
- 19. Certified that my child in respect of whom re-imbursement of Children Education Allowance is applied in studying in the School / Jr. College which is recognized and affiliated to Board of Education / University.
- 20. Certified that I am claiming the CEA in respect of my two eldest surviving children only, The information furnished above are complete and correct and I have not suppressed any relevant information. In the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for reimbursement of Children Education Allowance, I undertake to intimate the same promptly and

also to refund excess payments if any made. Further, I am aware that if at any stage the information / documents furnished above is found to be false, I am liable for displinary action.

Date :	
Place :	(Signature of Govt. Servant)
	Name:
	Permanent No.:
	Mobile No.:

FOR OFFICIAL USE ONLY

S.No.	Name of Child	Whether child is Physically Handicapped/Mentally Retarded	CEA Amount	Hostel Subsidy if Any	Total
1.					
2.					
Third child in exceptional cases					
Total (in words)					

Sr.AO/OE-14

AAO/OE-14

<u>Authority vide Government of India Ministry of Personnel P. G. and</u> <u>Department of Personnel & Training New Delhi</u>

Order No. A-27102/02/2017- Estt. (AL) 16 August 2017

(This order shall be effective from 01 Jul 2017)

CERTIFICATE FROM THE HEAD OF INSTITUTION / SCHOOL

(FOR REIMBURSEMENT OF CEA)

It is certified that Master / Kumari having
Admission NoD.O.B
was studying in Class Sec Sec
Roll No during the Previous Academic Year 20 to 20 from School /
nstitution , namely vide affiliation Rego
No. / Code and pattern
Curriculum.
Place:
Date: Signature of Principal
(Affix School Stamn)

बच्चों के शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए प्रोफार्मा

(कोई भी बिंदु अनुत्तरित नहीं छोड़ा जाना चाहिए, यदि लागू न हो तो NA लिखें)

में एतद् द्वारा अपनी संतान/संतानों के लिए बाल शिक्षा भत्ता / छात्रावास अनुवृत्ति की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करता हूँ तथा संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत किये गए हैं :-

1	किस शैक्षणिक वर्ष के लिए दावा					: 2020			
2	कर्मचारी / अधिकारी का नाम								
3	स्थाई क्रमांक				[-]	:			
4	पद	•		***			:	100	
5	अनुभाग	अनुभाग एवं कार्यालय					:		
6	नौकरी	में शामि	मेल होने की तिथि				:	10.001	
7	कर्मचार्र								
	अनुक्रम		बच्चे का	नाम			जन्म की त	ारीख	उम (वर्ष में)
	प्रथम ब	च्चा							
	दूसरा ब	च्चा		,	-56%				
	तीसरा	बच्चा							
	चौथा ब	च्चा							
8	संतान	/ संतान	ांका विवन	रण जिसव	ने लिए संत	ान हि	शेक्षा भत्ता	का दावा किय	ा गया है :-
	(असाध	ारण मा	मलों में र्त	ोसरे बच्चे	का दावा)				
	क्रम बच्चे का न		का नाम	कक्षा अनुभाग		अक	कादमिक विदयालय		संस्थान का नाम एवं
				-	3	वर्ष			
	1.	1.			150				
	2.								
	۷.								
	3.								
9	(ए) संत	(ए) संतान, जिसके लिए संतान शिक्षा भत्ता का आवेदन किया गया है;							
	क्या वह	क्या वह दिव्यांग है : हाँ / नहीं							
	(बी) यदि हाँ , दिव्यान्गता की प्रकृति इंगित करें(यदि लागू न हो तो NA लिखें)							i)	
	(सी) दि	(सी) दिव्यान्गता प्रमाण पत्र की तिथि (यदि लागू न हो तो NA लिखें)							
	(डी) दिव्यानगता का प्रतिशत इंगित करें (यदि लागू न हो तो NA लिखें)							icia)	
	(डी) दि								
10		्या न्गत	ा का प्रति	शत इंगित	त करें (यदि	लागू	्न हो तो N		हीं
10 11	क्या सं	व्यान्गत स्थान के	ा का प्रति जिथ्यक्ष	शत इंगित से वास्ती	त करें (यदि वेक प्रमाण	लागू पत्र	्न हो तो N	A लिखें) गा है : हाँ / न	हीं

12	कर्मचारी के आवास से संतान के छात्रावास की दूरी (छात्रावास अनुवृत्ति के	
	मामले में) (यदि लागू न हो तो NA लिखें)	
13	यदि हाँ, मद संख्या 11 पर, छात्रावास अनुवृत्ति के लिए दावा की गई राशि	रुपये
	(यदि लागू न हो तो NA लिखें)	_ : .
14	प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी / पति केंद्र सरकार में कर्मचारी नहीं हैं	
	(यदि पत्नी / पति केंद्र सरकार में कर्मचारी नहीं है, तो "हाँ" लिखें	
15	यदि पत्नी या पति कार्यरत हैं, तो बताएं की क्या वह केंद्र सरकार, पी.एस.यू.	
	या राज्य सरकार में हैं (पित / पत्नी के नाम के साथ विवरण दें)	
	(यदि लागू न हो तो NA लिखें)	
16	पत्नी / पति का पदनाम, कार्यालय का नाम, यदि केंद्र सरकार में कार्यरत हैं	
	(यदि लागू न हो तो NA लिखें)	

17. प्रमाणित किया जाता है किमेरे जीवनसाथी नेऊपर उल्लिखित बच्चे / बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते के लिए आवेदन नहीं किया है

18. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने या मेरे जीवनसाथी ने किसी अन्य स्त्रोत से इस प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है और ना ही भविष्य में करेंगे

19. प्रमाणित करता हूँ कि मेरी संतान जिसके सम्बन्ध में संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति का आवेदन किया गया है , विद्यालय / अवर कॉलेज पढ़ रहा / रही है जो कि मान्यता प्राप्त है तथा शिक्षा बोर्ड / महाविद्यालय से सम्बद्ध है

20. प्रमाणित करता हूँ कि मैं केवल अपने दो ज्येष्ठ जीवित संतानों के संबंध में संतान शिक्षा भत्ता का दावा कर रहा हूँ, उपर्युक्त प्रस्तुत की गई जानकारी पूर्ण एवं सही है, तथा मैंने कोई भी संबंधित जानकारी नहीं छिपाई है, मैं उपर्युक्त प्रस्तुत किये गए विवरण में किसी परिवर्तन की स्थिति में जो कि संतान शिक्षा भत्ता के लिए मेरी पात्रता को प्रभावित करता हो, की जानकारी तुरंत सूचित करने तथा यदि मुझे कुछ अधिक अदायगी की गई हो तो उसकी वापसी की जिम्मेदारी लेता हूँ, आगे, मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि यदि किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा उपर्युक्त प्रस्तुत की गई जानकारी / दस्तावेज गलत पाई जाती है तो मैं अनुशासनिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ

तिथि:

स्थान :

(सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर)

नाम -

स्थायी क्रमांक -


मोबाइल नं. -

केवल कार्यालयीन / शासकीय उपयोग के लिए

स.क्र.	बच्चे का नाम	क्या बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग / मानसिक रूप से विक्षिप्त है	बाल शिक्षण भत्ता की राशि	छात्रावास अनुवृत्ति, यदि कोई हो	कुल
1.					
2.				/sc = 1000 1000	
तीसरा बच्चा (असाधारण मामलों में)					
कुल (शब्दों में)					

व.ले,प.अ./प्रशासन-14

स.ले.प.अ./प्रशासन-14



प्राधीकार से कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली

आदेश सं. ए-27102/02/2017-स्था.(ए.एल.)16 अगस्त 2017 (यह आदेश 01 जुलाई 2017 से लागू होगा)

संस्थान /विद्यालय के अध्यक्ष से प्रमाण पत्र (संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए)

सदम स		***			दिना	p:
यह	प्रमाणित	किया जाता	है कि मास्ट	र/कुमारी		प्रवेश
क्रमांक		जन्मति	ાથિ	पुत्र,	/पुत्री श्री/श्रीमर्त	ì
कक्षा	अन्	नुभाग	अनुक्रम	ांक	विग	ात शैक्षिक वर्ष 20
से 20	के व	दौरान विद्यालय	1/संस्थान, नाम	नतः		संबंधन पंजीकरण
क्रमांक/ को	ड	तथा पैटर्न	/ स्वरूप		. पाठ्यक्रम में	पढ् रहा था।
स्थानः-						
तिथि:-	*				प्राध्यापक व	ने हस्ताक्षर
					(अनुलग्न विद्य	गलय मोहर)